सं. 1-8/2013- स्था.-II (ख)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांकः 25 सितंबर, 2013

कार्यालय ज्ञापन

विषयः केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान - 01.07.2013 से लागू संशोधित दरें।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 25 अप्रैल, 2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1(2)/2013 -संस्था.II(ख) के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रपति ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की वर्तमान दर को 01 जुलाई 2013 से 80 प्रतिशत से 90 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है।

2. इन आदेशों के अन्तर्गत महंगाई भत्ते का विनियमन करते समय, इस मंत्रालय के दिनांक 29 अगस्त, 2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1(3)/2008-संस्था.-II(ख) के पैरा 3, 4 और 5 में निहित उपबंध लागू रहेंगे।

3. इन आदेशों के तहत देय महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किश्त का भुगतान केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारियों को नकद किया जाएगा।

4. ये आदेश रक्षा सेवा अनुमानों से वेतन प्राप्त करने वाले असैनिक कर्मचारियों पर भी लागू होंगे तथा यह व्यय रक्षा सेवा अनुमानों के संगत शीर्ष के नामे डाला जाएगा। सशस्त्र बल कर्मियों और रेलवे कर्मचारियों के संबंध में क्रमशः रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।

5. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सहमति से जारी किए गये हैं।

(किशोरी रमण शर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)।

प्रतिलिपिः नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि (मानक सूची के अनुसार) (सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों सहित)।